जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ / एल.पी.सी. / 18 / डी– 1025 दिनांकः–5-10-18

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **147वीं बैठक दिनांकः 05.10.2018 को अपराह्न 12.30 बजे** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"मंथन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		147:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 146वीं बैठक दिनांक 12.09.18 के कार्यवाही विवरण में की पुष्टि एवं बैठक 128वीं से 146वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 146वीं बैठक दिनांक 12.09.18 के कार्यवाही विवरण में प्रस्ताव संख्या 146:28 व 146:40 में नगर निगम, जयपुर को गौशाला हेतु भूमि "आरक्षित" करने के स्थान पर "आवंटन" करना प्रतिस्थापित करने के साथ ही पुष्टि की गई। बैठक संख्या 128 से 146 की पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा अवशेष अनुपालना रिपोर्ट पर संतोष जाहिर करते हुये शेष प्रकरणों में शीघ्र पालना करने के निर्देश दिये गये।
2.	9	147:2	कर्नल अमित ऑस्कर फर्नाडिस, कीर्ति चक्र विजेता कमांडिंग ऑफिसर 7वीं मराठा लाईट इन्फैंट्री को भूमि आवंटन करने बाबत ।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा कर्नल अमित ऑस्कर फर्नाडिस, कीर्ति चक्र विजेता कमांडिंग ऑफिसर 7वीं मराठा लाईट इन्फैंट्री को खूसर विस्तार योजना में उपलब्ध भूखण्ड संख्या 275 से 279 प्रत्येक क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के अनुसार प्रकरण में अधिकतम 220 वर्गमीटर का भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर कर्नल अमित ऑस्कर फर्नाडिस को खूसर विस्तार योजना में उपलब्ध 200 वर्गमीटर के रिक्त नॉन कॉर्नर भूखण्ड संख्या 275 से 279 में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा योजना की आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया ।
3.	10	147:3	पशुपालन विभाग, राज. सरकार को राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, लूनियावास हेतु ग्राम गोविन्दपुरा रोपाडा के खसरा नं. 44 की प्लानिंग की जाकर 1000 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटन करने हेतु ।	उपायुक्त जोन–10 द्वारा पशुपालन विभाग, राज. सरकार को राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, लूनियावास हेतु ग्राम गोविन्दपुरा रोपाडा के खसरा नं. 44 की प्लानिंग की जाकर 1000 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, लूनियावास हेतु ग्राम गोविन्दपुरा रोपाडा के खसरा नं. 44 में से 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया ।
4.	13	147:4	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–प्रथम को ग्राम चौमू के खसरा नं. 2618 रकबा 0.30 हैक्टेयर	उपायुक्त जोन–13 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–प्रथम को ग्राम चौमू के खसरा नं. 2618 रकबा 0.30 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन श्मशान में से 600 वर्गमीटर भूमि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,

अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			किस्म गैर मुमकिन श्मशान में से 600 वर्गमीटर भूमि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेनवाल रोड़, चौमू हेतु आवंटन करने हेतु ।	रेनवाल रोड़, चौमू हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगर पालिका, चौमू ने उक्त खसरा नं. में भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत की है। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेनवाल रोड़, चौमू हेतु ग्राम चौमू के खसरा नं. 2618 में से क्षेत्रफल 600 वर्गमीटर भूमि राज्य सरकार के आदेश कमांक–एफ–3(55)नविवि/3/2002 दिनांक 25.11.2016 के अनुसरण में निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया ।
5.	13	147:5	ग्राम पंचायत चंदवाजी को ग्राम सालडवास तहसील जयपुर में जविप्रा स्वामित्व के खसरा नं. 155 रकबा 0. 17 हैक्टेयर किस्म बारानी–1, 156 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म बारानी–1, 157 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म बारानी–1, 161 रकबा 0.43 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 किता 4 कुल रकबा 0.66 हैक्टेयर में से 2140.00 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित करने हेतु ।	उपायुक्त जोन–13 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत चंदवाजी को ग्राम सालडवास तहसील जयपुर में जविप्रा स्वामित्व के खसरा नं. 155 रकबा 0.17 हैक्टेयर किस्म बारानी–1, 156 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म बारानी–1, 157 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म बारानी–1, 161 रकबा 0.43 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 किता 4 कुल रकबा 0.66 हैक्टेयर में से 2140.00 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं है व भूमि मौके पर रिक्त एवं उपलब्ध है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.18 के अनुसार श्मशान/कब्रिस्तान हेतु अधिकतम 2000 वर्गमीटर भूमि आरक्षित करने हेतु प्राधिकरण को अधिकृत किया है। अतः ग्राम पंचायत चंदवाजी में श्मशान, सालडवास हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आरक्षित की जा सकती है। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर प्रकरण स्थगित किया गया ।
6.	13	147:6	नामदेव छीपा समाज युवा समिति को सामुदायिक केन्द्र हेतु ग्राम कानोता तहसील बस्सी में स्थित पीताम्बरा आवासीय योजना के संस्थानिक भूखण्ड संख्या 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु ।	उपायुक्त जोन–13 द्वारा श्री नामदेव छीपा समाज युवा समिति को सामुदायिक केन्द्र हेतु ग्राम कानोता तहसील बस्सी में स्थित पीताम्बरा आवासीय योजना के संस्थानिक भूखण्ड संख्या 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। ग्राम कानोता तहसील बस्सी में स्थित पीताम्बरा आवासीय योजना सृजित संस्थानिक भूखण्ड जो 2500 वर्गमीटर है, मौके पर रिक्त है, राज्य सरकार की आवंटन नीति वर्ष 2015 में सामुदायिक केन्द्र हेतु अधिकतम 1500 वर्ग मीटर भूमि आवंटन का प्रावधान है । अतः समिति द्वारा विचार–विमर्श कर श्री नामदेव छीपा समाज युवा समिति को सामुदायिक केन्द्र हेतु उक्त भूखण्ड क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर योजना की संस्थानिक दर + 15प्रतिशत शहरी निकाय को देय राशि पर आवंटन की अभिशंषा व मापदण्ड में शिथिलता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया ।
7.	14	147:7	ग्राम बाडापदमपुरा तहसील चाकसू में अनुमोदित संस्थानिक योजना में स्कूल हेतु सृजित भूखण्ड में से 1500 वर्गमीटर भूमि सामुदायिक भवन ग्राम बाडापदमपुरा (गोल्यावास) हेतु आवंटन करने हेतु ।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत को ग्राम बाडापदमपुरा तहसील चाकसू में अनुमोदित संस्थानिक योजना में स्कूल हेतु सृजित भूखण्ड में से 1500 वर्गमीटर भूमि सामुदायिक भवन ग्राम बाडापदमपुरा (गोल्यावास) हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर प्रकरण को स्थगित किया गया ।

8.	9	147:8	महात्मा फूले शिक्षा समिति को गर्ल्स/ब्यॉज हॉस्टल व कोचिंग सेन्टर हेतु जविप्रा की आवासीय योजना दांतली सिरोली के संस्थानिक भूखण्ड संख्या आई–2 क्षेत्रफल 5650 वर्गमीटर में से 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु ।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा महात्मा फूले शिक्षा समिति को गर्ल्स/ब्यॉज हॉस्टल व कोचिंग सेन्टर हेतु जविप्रा की आवासीय योजना दांतली सिरोली के संस्थानिक भूखण्ड संख्या आई–2 क्षेत्रफल 5650 वर्गमीटर में से 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। संस्था के आवेदन पत्र को जविप्रा की वेबसाईट पर दिनांक 28.09.18 को टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु अपलोड किया गया है। राज्य सरकार की भूमि आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 4.2 में न्यूनतम 15 दिवस की अवधि हेतु वेबसाईट पर डाला जाकर उस पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने का प्रावधान है। भूमि आवंटन नीति–2015 में छात्रावास व कोचिंग सेन्टर हेतु आवंटन का प्रावधान वर्णित नहीं है। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर महात्मा महात्मा फूले शिक्षा समिति को गर्ल्स/ब्यॉज हॉस्टल व कोचिंग सेन्टर हेतु जविप्रा की आवासीय योजना दांतली सिरोली के संस्थानिक भूखण्ड संख्या आई–2 क्षेत्रफल 5650 वर्गमीटर में से 2000 वर्गमीटर भूमि योजना की संस्थानिक दर + 15प्रतिशत शहरी निकाय को देय राशि पर आवंटन की अभिशंषा करने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया । आवंटन नीति के बिन्दु संख्या 4.2 के अनुसार आवेदन पत्र को जविप्रा की वेबसाईट पर दिनांक 28.9.18 को अपलोड किया गया था जिसे 15 दिवस की अवधि पूर्ण नहीं होने से व संस्था द्वारा चाहा गया आवंटन का प्रयोजन नीति में वर्णित नहीं होने से प्रकरण शिथिलता व निर्णय हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जाने का निर्णय लिया गया ।
9.	13	147:9	ग्राम पंचायत, चंदवाजी को ग्राम पीलवा तहसील आमेर के खसरा नं. 3 रकबा 8.88 हैक्टेयर किस्म चरागाह भूमि में से 2400 व.मी. भूमि श्मशान हेतु आरक्षित करने हेतु ।	उपायुक्त जोन–13 द्वारा ग्राम पंचायत, चंदवाजी को ग्राम पीलवा तहसील आमेर के खसरा नं. 3 रकबा 8.88 हैक्टेयर किस्म चरागाह भूमि में से 2400 व.मी. भूमि श्मशान हेतु आरक्षित करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत भूमि के पहुँच मार्ग हेतु 12 मीटर चौडा मार्गाधिकार उपलब्ध है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.18 के अनुसार श्मशान/कब्रिस्तान हेतु अधिकतम 2000 वर्गमीटर भूमि आरक्षित करने हेतु प्राधिकरण को अधिकृत किया है। अतः ग्राम पंचायत चंदवाजी में श्मशान, पीलवा हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आरक्षित की जा सकती है। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर ग्राम पंचायत, चंदवाजी को ग्राम पीलवा तहसील आमेर के खसरा नं. 3 रकबा 8.88 हैक्टेयर किस्म चरागाह भूमि में से 2000 व.मी. भूमि श्मशान हेतु आरक्षित की जाकर रख–रखाव व संचालन हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया ।
10.	14	147:10	ग्राम बाडापदमपुरा तहसील चाकसू में अनुमोदित संस्थानिक योजना में स्कूल हेतु सृजित भूखण्ड में से 2000 वर्गमीटर भूमि	उपायुक्त जोन–14 द्वारा प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बाडापदमपुरा को ग्राम बाडापदमपुरा तहसील चाकसू में अनुमोदित संस्थानिक योजना में स्कूल हेतु सृजित भूखण्ड में से 2000 वर्गमीटर भूमि प्राथमिक विद्यालय हेतु आवंटन करने

अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			प्राथमिक विद्यालय हेतु आवंटन करने हेतु ।	हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर ग्राम बाडापदमपुरा तहसील चाकसू में अनुमोदित संस्थानिक योजना में स्कूल हेतु सृजित भूखण्ड में से 2000 वर्गमीटर भूमि प्राथमिक विद्यालय हेतु आवंटन करने का निर्णय लिया गया । निःशुल्क आवंटन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे ।
11.	12	147:11	ग्राम बगरू रावान, तहसील सांगानेर में जविप्रा द्वारा सृजित बगरू ग्रीन्स योजना में स्थित सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 3165.52 वर्ग मीटर में से 1500 वर्ग मीटर भूमि सामुदायिक भवन हेतु आवंटन किये जाने हेतु ।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा ग्राम बगरू रावान, तहसील सांगानेर में जविप्रा द्वारा सृजित बगरू ग्रीन्स योजना में स्थित सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 3165.52 वर्ग मीटर में से 1500 वर्ग मीटर भूमि सामुदायिक भवन हेतु आवंटन किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है । समिति द्वारा विचार–विमर्श कर सड़क से लगती हुई 1500 वर्ग मीटर भूमि का संस्थानिक आरक्षित दर + 15प्रतिशत शहरी निकाय को देय राशि पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
12.	10	147:12	सुमेल योजना के भूखण्ड संख्या ए–506 क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर के स्थान पर बी ब्लॉक के भूखण्ड संख्या 659, 664, 681, 682, 687, 692 क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर में से विनिमय किये जाने बाबत ।	उपायुक्त जोन–10 द्वारा श्री अशोक हेमराजानी को पूर्व आवंटित भूखण्ड संख्या ए–501 सुमेल योजना के कोर्ट केस से प्रभावित होने के कारण कब्जा नहीं दिया जा सका । अतः भूखण्ड संख्या ए–501 क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर के स्थान पर बी ब्लॉक के समान माप व समान चौडाई की सडक पर स्थित रिक्त भूखण्ड संख्या 659, 664, 681, 682, 687, 692 क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर में से विनिमय किये जाने बाबत एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर उक्त भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया ।
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक में निम्नांकित अतिरिक्त एजेण्डा पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–				
13.	4	147:12 (1)	दी इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स राजस्थान चेप्टर को संस्थानिक प्रयोजनार्थ जोन–4 क्षेत्राधिकार की फ्लैटेड हाउसिंग स्कीम, ग्राम मनोहरपुरा कच्ची बस्ती, सिद्धार्थ नगर–एच ब्लॉक के पास योजना के भूखण्ड सं.4 में से प्रस्तावित उपविभाजित भूखण्ड सं.4ए, क्षेत्रफल 2082.20 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने के संबंध में ।	दी इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स राजस्थान चेप्टर को संस्थानिक प्रयोजनार्थ जोन–4 क्षेत्राधिकार की फ्लैटेड हाउसिंग स्कीम, ग्राम मनोहरपुरा कच्ची बस्ती, सिद्धार्थ नगर–एच ब्लॉक के पास योजना के भूखण्ड सं.4 में से प्रस्तावित उपविभाजित भूखण्ड सं.4ए, क्षेत्रफल 2082.20 वर्गमीटर भूमि संस्था को लर्निंग रिसोर्स सेन्टर हेतु आवंटन करने के संबंध में उपायुक्त जोन–4 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है । संस्था को प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 140वीं बैठक दिनांक 19.7.2018 में व्यावसायिक एवं ग्रुप हाउसिंग योजना जगतपुरा बायपास, जवाहर सर्किल के पास भूखण्ड संख्या 8ए क्षेत्रफल 1058.58 वर्ग मीटर आवंटन का निर्णय लिया गया था, किन्तु उक्त भूखण्ड के संबंध में पूर्व में जारी आवंटन पर्ची के कारण व लीगल नोटिस प्राप्त होने से कब्जा नहीं दिया जा सका । समिति के दिनांक 19.7.18 को लिए गए निर्णय को निरस्त करते हुए समिति द्वारा विचार–विमर्श कर जोन के प्रस्ताव अनुसार फ्लैटेड हाउसिंग स्कीम, ग्राम मनोहरपुरा कच्ची बस्ती, सिद्धार्थ नगर–एच ब्लॉक के पास योजना के भूखण्ड सं.4 में से प्रस्तावित उपविभाजित भूखण्ड सं.4ए, क्षेत्रफल 2082.20 वर्गमीटर भूमि योजना की संस्थानिक आरक्षित दर + 15प्रतिशत शहरी निकाय को देय राशि पर आवंटन करने की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया । उक्त मूल भूखण्ड पूर्व में 04 बार नीलामी के लिए प्रस्तावित किया गया था, किन्तु नीलाम नहीं हो सका ।

अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				आवंटन नीति 2015 के बिन्दु संख्या 8.3 के अनुसार उक्त प्रयोजनार्थ भूमि की आवश्यकता का आकलन व आवंटन का निर्णय अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा लिये जाने का प्रावधान है । अतः निणयार्थ प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें ।
14.	12	147:12 (2)	श्री गोविन्द राम शर्मा, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को भूखण्ड आवंटन बाबत ।	श्री गोविन्दराम शर्मा को एलपीसी की बैठक दिनांक 10.8.16 में राजभवन योजना में 180 वर्ग मीटर का भूखण्ड आवंटन का निर्णय लिया गया था । प्रार्थी द्वारा पारिवारिक परिस्थितिवश अजमेर रोड पर आवंटन का अनुरोध किया है । समिति द्वारा विचार–विमर्श कर उपायुक्त जोन–12 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट के अनुसार श्री गोविन्द राम शर्मा को पूर्व में आवंटित भूखण्ड के स्थान पर आनंदविहार योजना में 162 वर्ग मीटर के नॉन कॉर्नर रिक्त भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया ।
15.	12	147:12 (3)	द्रव्यवती नदी के बीच में आ रहे मदरसे के स्थान पर अन्यत्र भूमि आरक्षित करने बाबत ।	उपायुक्त, जोन–12 द्वारा द्रव्यवती नदी के बीच में आ रहे मदरसे के स्थान पर जविप्रा की मुण्डियारामसर योजना के एच ब्लॉक के 04 आवासीय नॉन कॉर्नर भूखण्ड संख्या एच–276, एच–277,एच–280 व एच–281 प्रत्येक क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर कुल 200 वर्ग मीटर भूमि आरक्षण करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है । समिति द्वारा विचार–विमर्श कर उक्त भूखण्ड मदरसे हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया ।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त/अभियांत्रिकी–द्वितीय/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर
15. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
16. उपायुक्त जोन–1 से 14 व पीआरएन (उत्तर–I/II व दक्षिण–I/II), जविप्रा, जयपुर।
17. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
18. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
19. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 147वीं बैठक दिनांक 05.10.2018 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री वैभव गालरिया, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्रीमती अर्चना सिंह, सचिव	सदस्य
3.	श्री हृदेश कुमार जुनेजा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री ललित शर्मा, निदेशक–अभियांत्रिकी–द्वितीय	सदस्य
5.	श्री ललित कुमार, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
6.	श्री ओ.पी.बुनकर, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
7.	श्री ओ.पी. बुनकर, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	विशेष आमंत्रित
8.	श्री एस.जेड. शाहिद, विशेषाधिकारी (आर.एम.)	विशेष आमंत्रित
9.	श्री राकेश कुमार गुप्ता, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
10.	श्री आशीष कुमार, उपायुक्त जोन–10	विशेष आमंत्रित
11.	श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
12.	डॉ. प्रवीण कुमार, उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित
13.	श्री बिरदीचन्द गंगवाल, उपायुक्त जोन–4 एवं 14	विशेष आमंत्रित
14.	श्री राजेश कुमार तुलारा, एस.टी.पी.	विशेष आमंत्रित

अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर